



कृषि भूमि की लीज डीड

पक्षकार सं० 1

पक्षकार सं० 2

D 761895



श्री चेतनराम पुत्र श्री मालाराम
जाति नाई उम्र 38 साल निवासी
ग्राम तिरसिंडी सोढा ग्राम पंचायत नैवरी
पंचपदरा जिला बाड़मेर (राज०)
जिला अध्यक्ष सैन समाज विकास
एवं उद्धारक समिति बाड़मेर ।

श्री चुन्चोलाल पुत्र श्री कुम्बाराम
जाति माली उम्र 52 साल निवासी
टाकली बेरा,वार्ड नं०-26 बालोतरा
तहसील पंचपदरा जिला बाड़मेर
सचिव नवोदय मानव विकास शिक्षण संस्थान
बालोतरा।

4/2/18

उप पंजीयक बायतु
जिला-बाड़मेर

Chinmayi

यह लीज डीड विलेख आज दिनांक 21 जूलाई 2016 को बमुकाम बायतु तहसील में मै श्री चेतनराम पुत्र मालाराम जाति नाई उम्र 38 साल निवासी ग्राम तिरसिंड़ी सोढा ग्राम पंचायत नेंवरी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर जिला अध्यक्ष सैन समाज विकास एवं उद्धारक समिति बाड़मेर (राज0) वाला (जिन्हे आगे इस विलेख में प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जाएगा)

// बहक //

श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री कुम्बाराम जाति माली उम्र 52 साल निवासी टाकली बेरा,वार्ड नं0-26 बालोतरा हाल सचिव नवोदय मानव विकास शिक्षण संस्थान बालोतरा (जिन्हे आगे इस विलेख में द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जाएगा)

हम निष्पादनकर्ता एक दुसरे के पक्ष में लिख कर देतें हैं:-

यह है कि पक्षकार संख्या 1 की कृषि भूमि वाके ग्राम बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खेत खाता संख्या 304,305 खसरा नं0 922/337,344 रकबा कमंश 0-02-16,40-13-10 बीघा जमीन आई हुई है। उक्त जमीन कृषि भूमि है। उक्त जमीन मे से सैन भगत मन्दिर नाई समाज बायतु भोपजी के पक्ष में 0-02-16 व 0-09-51 वीस्वा अथार्त 968 वर्गमीटर कृषि भूमि आती है। उक्त जमीन में से 755 वर्गमीटर (8122 वर्गफीट) कृषि भूमि नवोदय मानव विकास शिक्षण संस्थान बालोतरा को पक्षकार संख्या 1 द्वारा पक्षकार संख्या 2 को 60 माह की अवधि के लिए नवोदय मानव विकास शिक्षण संस्थान बालोतरा के संचालन के लिए लीज डीड पर देना चाहता हैं और पक्षकार संख्या 2 भी उक्त जमीन को लीज डीड पर 60 माह के लिए लेना चाहता हैं।

अतः हम पक्षकारान इस विलेख के जरिए यह इकरार करते हैं :-

यह है कि प्रथम पक्ष उक्त जमीन को द्वितीय पक्ष को नवोदय मानव विकास शिक्षण संस्थान बालोतरा को शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए दे रहा हूँ। जिसका किराया प्रतिवर्ष 51000/- (अक्षरे इकावन हजार रूपये मात्र) रहेगा, जो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्रतिवर्ष अदा करेगा।

2. यह है कि उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष अपने स्वयं के खर्चे पर आवश्यक निर्माण एवं फेंर बदल करवा सकेगा।
3. यह है कि उक्त जमीन में स्थित लाईट व पानी कनेक्शन के माहवार बिल द्वितीय पक्ष समय पर अदा करेंगे।
4. यह है कि उक्त जमीन को द्वितीय पक्ष आगे किराये पर या सब लीज पर नहीं दे सकेगा।
5. यह है कि उक्त जमीन की लीज डीड आज दिनांक 21 जूलाई 2016 से 60 माह तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद यह विलेख स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की आपसी सहमती से इसे आगे बढ़ाया भी जा सकेगा।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

लिहाजा यह लीज डीड आज दिनांक 21 जूलाई 2016 को बमुकाम बायतु में हम दोनो पक्षकारों ने अपनी-अपनी राजी-खुशी, अक्ल-होशियारी से, बिना किसी प्रकार के नशे-पत्ते व बेजा दबाव के सोच समझकर होश, हवास में तन्दुरस्ती की हालत में निम्न साक्षियों के समक्ष पढ सुन-समझ कर तहरीर व तकमील कर दीया हैं जो लिखे माफिक सही व सनद रहे । तथा वक्त जरूरत एक-दुसरे के सबूत बगैरा में काम आवे। इति दिनांक 21.07.2016

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

क०सं०	अंगुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिश्ठा
प्रथम पक्ष					
द्वितीय पक्ष					



साक्षी :- एक गोपालराम पुत्र चैतनराम जाति सूक्ष्म निवासी ग्राम गोपालपुर पटवार गोपालपुर हल्का गोपालपुर तहसील बायतु जिला बाड़मेर (राज.) वाला ने दोनों पक्षकारों के कहने से डाली हैं।



गोपाल

साक्षी :- एक विश्वनाथ पुत्र बुद्धेश्वर जाति सूक्ष्म निवासी ग्राम बुद्धेश्वर पटवार बुद्धेश्वर हल्का बुद्धेश्वर तहसील बायतु जिला बाड़मेर (राज.) वाला ने दोनों पक्षकारों के कहने से डाली हैं।

विश्वनाथ



विश्वनाथ